सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 104 राँची, मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

4 फरवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-152/2016 का-429 (HRMS)-- श्री सुशील कुमार राय, झा०प्र०से० "द्वितीय बैच, गृह जिला-मऊ (उ० प्रदेश)", तत्कालीन अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, पलामू के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-817, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा विरमित होने के बावजूद अधिसूचित प्रखंड में योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं करने, अपने कार्य से अनधिकृत अनुपस्थित के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने संबंधी आरोपों हेतु अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-9817, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 द्वारा श्री राय को निलम्बित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पलामू निर्धारित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-10282, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से श्री राय के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप की माँग की गई।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-7036, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री राय को निलम्बन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध उपायुक्त, पलामू से प्रपत्र-'क' में आरोप प्राप्त कर

विभागीय कार्यवाही संचालन की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं०-11183 दिनाँक 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री राय को निलम्बन मुक्त किया गया।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-37/स्था०, दिनांक 16 जनवरी, 2017 द्वारा श्री राय के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3802 दिनाँक 21 मार्च, 2017 द्वारा श्री राय से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री राय ने पत्रांक-514 दिनाँक 06 अप्रैल, 2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7352, दिनांक 20 जून, 2017 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-468/स्था०, दिनांक 20 अगस्त, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि- ''प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वे स्वयं एवं परिजनों के बीमारी के कारण लगभग डेढ़ माह विलम्ब से स्थानान्तरण के उपरान्त योगदान दिया है। इस विलम्ब अवधि में किसी माध्यम से कोई सूचना विरमित या योगदान करने वाले नियंत्री पदाधिकारी को नहीं दिया गया था। वर्तमान में योगदान के उपरान्त पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन इनके द्वारा दिया जा रहा है। अतः भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें इस संदर्भ में निर्देश देते हुए इनके द्वारा ससमय योगदान नहीं करने संबंधी कृत पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है।''

श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री राय द्वारा बीमारी की सूचना ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची अथवा उपायुक्त, पलामू को नहीं देने के लिए वे दोषी हैं।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सुशील कुमार राय, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोयलकेरा, पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री राय के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के अंतर्गत ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

(ख) निलम्बन अवधि में श्री राय को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु निलम्बन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में मान्य होगी।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority
1	2	3
1	SUSHEEL KUMAR RAI 20080400069	श्री सुशील कुमार राय, झा०प्र०से० के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के अंतर्गत ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 104 -- 50